स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
भारत सरकार
कोच्ची-25

मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत अनु.जाति/अनु.ज.जाति/महिला उद्यमियों को गुंटूर व गुना के मसाला पार्कों में ज़मीन पट्टे पर देने केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति

स्पाइसेस बोर्ड, आंध्र प्रदेश के गुंटूर और मध्य प्रदेश के गुना के मसाला पार्क में पट्टे पर देने केलिए प्रस्तावित ज़मीन में मसालों व मसाला उत्पादों केलिए उत्पादन, प्रसंस्करण, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग आदि की इकाइयों की स्थापना केलिए मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत अनु.जाति/ अनु.ज.जाति/महिला उद्यमियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। सड़क, जलनिकास, पानी, बिजली, भोजनालय, बैंकिंग आदि सहित आम अवसंरचना सुविधाओं साथ एक स्वतः पूर्ण एन्क्लेव के रूप में मसाला पार्क, बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है।

पट्टे पर दी जानेवाली ज़मीन को एक-एक एकड़ के आकार में सीमांकन किया जाता है। ज़मीन को निष्पादन और आपसी करार के आधार पर आगे की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार के प्रावधान के साथ एक बार का विकास शुल्क और निर्धारित वार्षिक पट्टा किराए के भुगतान पर 30 वर्ष की प्रारंभिक अवधि केलिए पट्टे पर दिया जाएगा।

उपर्युक्त मसाला पार्क में ज़मीन लेने इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए निर्धारित प्रपत्र में अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति **15 अक्तूबर, 2017 को या उससे पहले निदेशक(विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025,** केरल को भेजें। अभिरुचि की अभिव्यक्ति और ज़मीन की उपलब्धता के आधार पर बोर्ड निर्यातकों को ज़मीन आबंटित करेगा।

1	कंपनी का नाम	
2	स्पाइसेस बोर्ड पंजीकरण संख्या (मसालों के निर्यातक के रूप में)	
3	संपर्क व्यक्ति	
4	फोन व इ-मेइल के साथ पता	
5	अपेक्षित प्लॉटों की संख्या/एकड़ में क्षेत्र	
6	प्लॉटों की संख्या की प्राथमिकता, यदि है तो	

(कृपया दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें कि उद्यमी एससी / एसटी के हैं)

पट्टे केलिए सामान्य निबंधन व शर्तें

पट्टे की अवधि पट्टा करार के निष्पादन के दिन से प्रारंभ होकर 30 वर्ष (तीस वर्ष) है, जिसका पट्टादाता (स्पाइसेस बोर्ड) और पट्टेदार (निर्यातक) के बीच के आपसी करार के आधार पर आगे की अवधि केलिए विस्तार किया जा सकता है।

पट्टेदार को अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में या उससे पहले हर साल बिना चूक के पट्टा भाड़ा के रूप में पट्टादाता को एक निर्धारित रकम का भुगतान करना चाहिए। वार्षिक पट्टा भाड़ा 1000/- रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है।

पट्टेदार, पट्टा ज़मीन केलिए पट्टादाता को एक बार का अप्रतिदेय विकास शुल्क देगा और यह रकम निम्नानुसार निर्धारित है:

मसाला पार्क - गुना : 5.00 लाख रुपए प्रति एकड़
मसाला पार्क - गुंटूर : 7.50 लाख रुपए प्रति एकड़

पट्टेदार को करार की तारीख के 60(साठ) दिनों के अंदर प्लॉट को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए और पट्टेदार द्वारा पट्टे की ज़मीन का उपयोग उसी उद्देश्य केलिए किया जाना चाहिए और मसाला व मसाला आधारित उत्पादों तथा मसालों से संबन्धित ऐसे अन्य क्रियाकलापों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजनों केलिए प्लॉट का उपयोग व उसपर कब्जा नहीं करना चाहिए।

पट्टेदार करार की तारीख से छह महीने के अंदर ही ढांचे/उद्योग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगा और आबंटन की तारीख से दो वर्ष के अंदर ही उसे पूरा करेगा, ऐसा न करने पर पट्टेदाता को भुगतान की गई पट्टा राशि व विकास शुल्क को ज़ब्त करते हुए ज़मीन का आबंटन रद्द करने का अधिकार रहेगा।

यदि पट्टेदार के लिए आवंटित की भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था या पट्टेदार प्लॉट के आवंटन की तारीख से 2 (दो) वर्ष की अवधि के अंदर प्लॉट में वाणिज्यिक उत्पाद / इकाई के परीक्षण उत्पादन को शुरू करने में असफल रहता है या अगर पट्टेदार हड़ताल या तालाबंदी या मुकदमेबाजी के किसी भी कारण के लिए लगातार 6 (छः) महीनों की अवधि के लिए अधिकृत उत्पादों के निर्माण और / या गतिविधियों को समाप्त करता है, तो पट्टादाता को पट्टा पूरी तरह रद्द करने के अधिकार के अलावा पट्टे पर हस्तांतरित परिसर में फिर से प्रवेश करने का अधिकार भी रहेगा। उपर्युक्त जैसे मामले में, जैसेकि पट्टेदाता द्वारा उचित समझी जानेवाली राशि, जोकि पट्टेदार से उचित रूप में वसूलीयोग्य हो, पट्टेदाता को मुआवज़े के तौर पर वसूल करने का अधिकार रहेगा।

आवेदक जो केवल मसाले पार्क में जमीन पाने के इरादे से और ईओआई प्रस्तुत करने की तारीख

पर बिना मान्य सीआरईएस के आगे आते हैं उन्हें सख्ती से निरुत्साहित किया जाता है।

बोर्ड, किसी भी / सभी ईओआई आवेदनों को कोई कारण बताए बिना अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

विस्तृत निबंधन और शर्तों को पट्टा करार में शामिल किया जाएगा और बाद में सूचित किया जाएगा।

भूमि विवरण/ मसाला पार्क के दौरे से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए मसाला पार्क के निम्नलिखित प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है :

मसाला पार्क, गुंटूर : उप निदेशक
स्पाइसेस बोर्ड
प्रादेशिक कार्यालय
गुंटूर-522004, आंध्र प्रदेश
टेली : 0863-2338570/2354782

मसाला पार्क, गुना :
वैज्ञानिक
मसाला पार्क
मावन ग्राम व पोस्ट
गुना, मध्य प्रदेश
टेली : 0754-2252041/ 9111444354

संपर्क विवरण

निदेशक(विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड,
सुगंध भवन
पलारिवट्टम पी ओ
कोच्ची-682025 केरल इ-मेइल : sbdm@indianspices.com
टेली : 0484-2333607

निदेशक(विपणन)